तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
24.11.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प फौजूवाला में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 13 एनपी खाता सं. 28 के मु.नं. 23, 30 की कुल 1.524है. नहरी व चक 21/23 एनपी खाता सं. 40 मु.नं. 27, 37, 36 की कुल 3.340है. नहरी/बारानी मय खाला व गै.मु. रास्ता तथा इसी चक के खाता सं. 46 के मु.नं. 37, 29, 36 की कुल 3.390है. नहरी/बारानी मय खाला व खाता सं. 41 मु.नं. 62 की 2.909है. नहरी मय खाला एवं चक 26 एनपी का खाता सं. 26 के मु.नं. 50 की 2.530है. बारानी मय खाला व चक 27 एनपी ए का खाता सं. 34 के मु.नं. 27 की 6.200है. बारानी व चक 28 एनपी का खाता सं. 47 के मु.नं. 44 की 1.898है. नहरी भूमि की जमाबंदी रिकार्ड में निरानी देवी पत्नी कृष्णलाल को दुरूस्त कर नारायण देवी पत्नी कृष्णलाल व सुलोचना देवी पुत्री कृष्णलाल को दुरूस्त कर सिलोचना पुत्री कृष्णलाल व गोमती देवी पुत्री कृष्णलाल को दुरूस्त कर सरोज पुत्री कृष्णलाल दुरूस्त करने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर कैम्प ठण्डी क्रमांक/राजस्व/शिविर/534 दिनांक 23.11.2021 के अनुसार कृष्णलाल पुत्र मूलचन्द जाति जाट नि0 ठण्डी के नाम से चक 13एनपी, 21/23 एनपी, 26 एनपी, 27 एनपी ए, 28 एनपी में खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। कृष्णलाल की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि वारिसान के आधार पर निरानी देवी पत्नी कृष्णलाल, सुलोचना देवी, पवनदेवी, गोमती देवी, निर्मला देवी पुत्रियां कृष्णलाल, कमलकिशोर पुत्र कृष्णलाल के नाम दर्ज हैं। वादीगण ने निवेदन किया हैं कि उक्त भूमि की जमाबंदी में नारायणी देवी का नाम गलती से निरानी देवी व सिलोचना का नाम सुलोचना व सरोज का नाम गोमती गलती से दर्ज हो गया। वादीगण अपना अपना नाम दुरूस्त करवा कर निरानी देवी के स्थान पर नारायणी देवी, सुलोचना के स्थान पर सिलोचना, गोमती के स्थान पर गोमती उर्फ सरोज करवाना चाहते हैं। मजमेआम में कैम्प ठण्डी में आम जन से पुछताछ करने पर बताया कि नाम दुरूस्त किये जाने उचित हैं। अतः राजस्व रिकार्ड में निरानी देवी के स्थान पर नारायणी देवी पत्नी कृष्णलाल, सुलोचना के स्थाना पर सिलोचना तथा गोमती के स्थान पर गोमती उर्फ सरोज पुत्री कृष्णलाल किया जाना उचित होगा। अतः रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता हैं तथा चक 13 एनपी खाता सं. 28 के मु.नं. 23, 30 की कुल 1.524है., नहरी व चक 21/23 एनपी खाता सं. 40 मु.नं. 27, 37, 36 की कुल 3.340है. नहरी/बारानी मय खाला व गै.मु. रास्ता तथा इसी चक के खाता सं. 46 के मु.नं. 37, 29, 36 की कुल 3.390है. नहरी/बारानी मय खाला व खाता सं. 41 मु.नं. 62 की 2.909है. नहरी मय खाला एवं चक 26 एनपी का खाता. सं. 26 के मु.नं. 50 की 2.530है. बारानी मय खाला व चक 27 एनपी ए का खाता सं. 34 के मु.नं. 27 की 6.200है. बारानी व चक 28 एनपी का खाता सं. 47 के मु.नं. 44 की 1.898है. नहरी भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार के नाम निरानी देवी के स्थान पर नारायणी देवी पत्नी कृष्णलाल, सुलोचना के स्थाना पर सिलोचना तथा गोमती के [illegible] गोमती उर्फ सरोज पुत्री कृष्णलाल [illegible] जाते हैं। शेष दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनग[illegible] में [illegible] दरामद किया अंकन यथावत रहेगा। इसी अ[illegible] जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को [illegible] प्रेषित की जावे। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 24.11.2021 को लि[illegible]ा जाकर मजमा ए आम में सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर कैम्प– फौजूवाला	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.02.21 17:33:37 IST
Reason: SelfAttested